न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 24 / 2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सुनिल कौशिक नि0 शिव चौक बदनोर जिला भीलवाडा —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डीईएसी व खनि अभियन्ता, खनिज विभाग भीलवाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 17 / 04 / 2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डीईएसी व खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 15.03.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 18 / 01 / 2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10 / —रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 678621 प्रस्तुत कर कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु प्राप्त आवेदन जिला कार्यालय का नहीं होने सूचना प्रकोष्ठ ने अपने पत्रांक / सूचना प्रकोष्ठ / 2018 / आर–32 दिनांक 24.01.2018 को ही सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिककरण(डीईआईएए) भीलवाड़ा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसके पश्चात सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण(डीईआईएए) भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक / खनन / 2018 / 1777 दिनांक 13.03.2018 से अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सदस्य सचिव, डीईएसी भीलवाड़ा को लिखा गया । अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18.01.2018 की सूचना उपलबध कराने की निर्धारित समय सीमा 30 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18 / 01 / 2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03 / 04 / 2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी(को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 11.04.2018

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को उपस्थित हुआ। पीठासीन अधिकारी के दिनांक 11.04.2018 को राजकीय दौरे पर होने से
प्रकरण में आगामी सुनवाई तारीख 16.04.2018 नियत की गई। दिनांक 16.04.2018 को भी
पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने से आगामी सुनवाई दिनांक 17.04.2018 नियत
की गई। दिनांक 17.04.2018 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं
सदस्य सचिव,डीईएसी व खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के
आवेदन दिनांक 18.01.2018 में अंकित बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना समयावधि 30 दिवस
में उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय के समक्ष
उपस्थित होकर समय चाहा जो न्यायोचित नहीं है। इस पर अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी पर
शास्ति हेतु निवेदन किया तथा सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन
किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.01.2018 को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष
आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन जिला कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से सूचना प्रकोष्ठ
के द्वारा आवेदन को सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण(डीईआईएए) भीलवाड़ा को अपने पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/2018/आर–32 दिनांक
24.01.2018 से स्थानान्तरित कर दिया गया। अर्थात 5 दिवस में आवेदन स्थानान्तरित कर
दिया गया था। इसके पश्चात आवेदन सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण(डीईआईएए) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय से प्रत्यर्थी को
स्थानान्तरित नहीं किया गया बल्कि अपने पत्रांक /खनन/2018/1777 दिनांक 13.03.2018
से अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सदस्य सचिव, डीईएसी
भीलवाड़ा को पत्र लिखा गया । इस प्रकार आवेदन सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण
समाघात निर्धारण प्राधिकरण(डीईआईएए) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय में ही
पड़ा रहा । सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड सदस्य सचिव, डीईएसी भीलवाड़ा एवं खनि अभियन्ता,
खनिज विभाग भीलवाड़ा को दिनांक 27.02.2018 को भिजवाया गया जबकि अपीलार्थी का
आवेदन 24.01.2018 को सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण(डीईआईएए) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्राप्त हो चुका था परन्तु 24.01.
2018 से 24.02.2018 तक की अवधि में भी न तो सूचना उपलब्ध कराई न ही अपीलार्थी को
सूचना के सम्बन्ध में कोई पत्र सूचना के रूप में भिजवाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा
अपील प्रस्तुत किए जाने की सूचना प्रत्यर्थी को प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध
कराने का प्रयास नहीं किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम
के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की जा रही है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो
तथा जो भी सूचना कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध हो सम्बन्धित को नियमानुसार नियत अवधि में
उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता की जावे।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डीईएसी व खनि अभियन्ता, खनिज विभाग,

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के 7 दिवस में अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18.01.2018 में अंकित 2 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए पालना से अवगत करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डीईएसी व खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाड़ा को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 17/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा